रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08102021-230253
CG-MH-E-08102021-230253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
No. 438] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 17 सितम्बर, 2021

सं. टीएएमपी/62/2016-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसपीएमपी) के कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) में भूमि और भवनों के लिए मौजूदा किराए की अनुसूची (एसओआर) की वैधता इसके साथ संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/62/2016-केओपीटी

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसपीएमपी) --- आवेदक

कोरम:

(i) श्री. टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री. सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर, 2021 के 15 वें दिन पारित)

यह मामला श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसपीएमपी) के कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) में भूमि और भवनों के लिए मौजूदा किराए की अनुसूची (एसओआर) की वैधता अवधि के विस्तार से संबंधित है।

2. एसपीएमपी की केडीएस और एचडीसी में भूमि और भवनों के लिए मौजूदा एसओआर को इस प्राधिकरण द्वारा भूमि नीति दिशानिर्देश 2014 के तहत, पिछली बार आदेश संख्या टीएएमपी/62/2016-केओपीटी दिनांक 29 मार्च 2017 को अनुमोदित किया गया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 31 मई 2017 को राजपत्र संख्या 224 के तहत अधिसूचित किया गया था। एसओआर 07 अप्रैल 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ और 5 साल की अवधि के लिए अर्थात 06 अप्रैल 2021 तक वैध था।

3.1. इस परिप्रेक्ष्य में, एसपीएमपी ने दिनांक 26 मार्च 2021 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उसने केओपीटी भूमि / एसओआर में संशोधन के लिए आवश्यक संरचना के मूल्यांकन के लिए मेसर्स. वेस्टियन ग्लोबल वर्कप्लेस सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (वीजीडब्ल्यूएसपीएल) को नियुक्त किया है। मूल्यांकनकर्ता ने वर्ष 2021 की शुरुआत से काम शुरू कर दिया है।

3.2. उपरोक्त के मद्देनजर, एसपीएमपी ने, एसपीएमपी की केडीएस और एचडीसी में भूमि और भवनों के लिए मौजूदा एसओआर की वैधता को 6 महीने की और अवधि अर्थात 07 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

4.1. एसपीएमपी को दिनांक 05 अप्रैल 2021 के हमारे पत्र के माध्यम से विषयगत मामले पर मंजूरी देने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रति अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

4.2. प्रत्युत्तर में, एसपीएमपी ने अपने ई-मेल दिनांक 17 जून 2021 द्वारा सूचित किया है कि वे उपरोक्त पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं और वे अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर, बोर्ड के संकल्प को अग्रेषित करेंगे।

5.1. चूंकि एसपीएमपी की केडीएस और एचडीसी में भूमि और भवनों के लिए मौजूदा एसओआर की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है और एचडीसी के लिए एसपीएमपी द्वारा अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए आवश्यक समय और एसपीएमपी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रस्ताव को संसाधित करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए और क्रम में एसपीएमपी में केडीएस और एचडीसी में भूमि और भवनों के लिए एसओआर की वसूली में एक शून्य से बचने के लिए, मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता को 07 अप्रैल 2021 से प्रभावी बनाना उचित समझा गया है।

5.2. तथापि, जैसा कि एसपीएमपी द्वारा अनुरोध किया गया है, के आधार पर विचारणीय है कि 06 अक्तूबर 2021 तक की वैधता अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए, यह प्राधिकरण सामूहिक सोच विचार के आधार पर, एसपीएमपी के केडीएस और एचडीसी में भूमि और भवनों के लिए मौजूदा एसओआर की वैधता को 07 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक या एसपीएमपी द्वारा दायर प्रशुल्क प्रस्ताव (होने के लिए) के आधार पर संशोधित एसओआर के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाता है। एसपीएमपी को एसपीएमपी के केडीएस और एचडीसी की भूमि और भवनों के लिए एसओआर के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 31 अक्तूबर 2021 तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

5.3. एसपीएमपी को, एसपीएमपी की केडीएस और एचडीसी में भूमि और भवनों के लिए मौजूदा एसओआर की वैधता को 06 अप्रैल 2021 से बढ़ाने को मंजूरी देने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./311/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th September, 2021

No. TAMP/62/2016-KOPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Schedule of Rent (SOR) for Land and Buildings at Kolkata Dock System (KDS) and Haldia Dock Complex (HDC) of Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP), as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/62/2016–KOPT

Syama Prasad Mookerjee Port --- Applicant

QUORUM:

(i) Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2021)

This case relates to the extension of the validity of the existing Schedule of Rent (SOR) for Land and Buildings at Kolkata Dock System (KDS) and Haldia Dock Complex (HDC) of Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP).

2. The existing SOR for Land and Buildings of SPMP at KDS and HDC was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2016-KOPT dated 29 March 2017 under the Land Policy Guidelines, 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 31 May 2017 vide Gazette No. 224. The SOR come into effect retrospectively from 07 April 2016 and was valid for a period of 5 years i.e. upto 06 April 2021.

3.1. In this backdrop, SPMP vide its letter dated 26 March 2021 has stated that it has engaged M/s. Vestian Global Workplace Services Pvt. Ltd. (VGWSPL) for valuation of KOPT land / structure required for revision of SOR. The valuer has started work from the start of year, 2021.

3.2. In view of the above, the SPMP has requested to extend the validity of the existing SOR for Land and Buildings at KDS and HDC of SPMP for a further period of 6 months w.e.f. 07 April 2021.

4.1. The SPMP vide our letter dated 05 April 2021 was requested to forward a copy of the Board Resolution approving the subject matter.

4.2. In response, the SPMP vide its e-mail dated 17 June 2021 has conveyed that they are in the process of obtaining sanction of the Board on the above and on approval, they will forward the Board Resolution.

5.1. Since the validity of the existing SOR for Land and Buildings at KDS and HDC of SPMP has already expired and considering the time required for HDC of SPMP to file its proposal and the time required for processing the proposal to be filed by the SPMP and in order to avoid a vacuum in the levy of the SOR for Land and Buildings at KDS and HDC of SPMP, it is felt appropriate to extend the validity of the existing upfront tariff w.e.f. 07 April 2021.

5.2. However, given that the extension of validity period upto 06 October 2021, as requested by SPMP will soon expire, this Authority based on a collective application of mind, extends the validity of the existing SOR for Land and Buildings at KDS and HDC of SPMP from 07 April 2021 to 31 December 2021 or till the effective date of implementation of the revised SOR to be fixed based on the tariff proposal (to be) filed by the SPMP, whichever is earlier. The SPMP is directed to file its proposal for revision of SOR for the Land and Buildings of KDS and HDC of SPMP by 31 October 2021.

5.3. The SPMP is also directed to furnish a copy of Board Resolution approving the extension of validity of the existing SOR for Land and Buildings at KDS and HDC of SPMP beyond 06 April 2021.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./311/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.08 16:16:17 +05'30'